18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में महिलाओं की दशा

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उनकी स्थिति अग्रांकित बिन्दुओं से स्पष्ट हो जाती है।

(1) समाज का पिछड़ा वर्ग –

मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियाँ शूद्रों के समकक्ष हैं। अन्य धर्म शास्त्रों में इन्हें निम्न स्थान दिया गया। उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने तथा उनके नियंत्रण में बने रहने का निर्देश दिया गया। अठारहवीं शताब्दी व उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व यह स्थिति और भी शोचनीय हो गई थी।

2) वर्ण व्यवस्था की कठोरता –

वैदिक काल में कर्म के आधार पर निर्मित वर्ण-व्यवस्था कालान्तर में अधिकाधिक कठोर और जटिल होती गई। चातुर्वर्ण्य (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र) सामाजिक संरचना का आधार था। अतः इसका प्रभाव महिलाओं के सम्मान पर भी पड़ा।

3) बाल विवाह – इस कुप्रथा के कारण अल्पायु में ही स्त्रियाँ विधवा होने लगीं तथा अधिक सन्तानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य गिरने

लगा और उसकी असामयिक मृत्यु होने लगी। बाल विवाह के कारण वे शिक्षा सुविधाओं से वंचित हो गई।

4) बहुविवाह -

इस कुप्रथा से परिवार की आर्थिक स्थिति काफी गिर गई। बहुविवाह ने अनमेल विवाहों को भी प्रोत्साहित किया जिसके कारण स्त्रियों का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया।

5) विधवा - जीवन

विधवाओं को सामाजिक कार्यों में अमंगल - सूचक तथा परिवार में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। बाल विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया जाता था। पैतृक संपत्ति तथा पति के घर में भी उन्हें सम्पत्ति का अधिकार न होने के कारण वे आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर रहती थी। उन्हें आजीविका के लिए समाति की भी अनुमति नहीं थी।

6) पर्दा - प्रथा -

मुसलमानों के प्रभाव से हिन्दू समाज की स्त्रियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित हो गई थी। पर्दा को परिवार या जाति की

प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। इस कुप्रथा का प्रभाव स्त्रियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

7) बालिका - वध

बालिकाओं के जन्म होते ही कुछ जातियों में उन्हें मार डालने की कुप्रथा प्रचलित हो गई जो समाज का कलंक स्वरूप थी। यह कुप्रथा विशेषतः राजपूतों में प्रचलित थी। कुछ लोगों में यह धार्मिक अन्धविश्वास था कि बालिकाओं को देवी देवता के समक्ष बलि चढ़ाने से उन्हें पुत्र उत्पन्न होगा। इस आकांक्षा से भी बालिकाओं की हत्या की जाती थी।

8) अशिक्षा -

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश शासकों ने भी स्त्री - शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिलाओं को शिक्षित करना सम्भवतः इसलिए आवश्यक नहीं समझा कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए महिला क्लर्क या अधिकारियों की आवश्यकता नहीं थी।"

9) सती प्रथा -

अठारहवीं शताब्दी की भाँति सती प्रथा का प्रचलन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक चलता रहा। यद्यपि लार्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ई० में कानून बनाकर